रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936

No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2014

सं. 710/1(एम) 1.—इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया ने कम्पनी सचिव विनियमावली के प्रारूप विनियमों में और आगे संशोधन करने के लिए कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 में सं. 710/1(एम)/1, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा एक अधिसूचना का प्रकाशन पृष्ठ 1 से 8 पर किया था जिसमें उक्त विनियमावली के संशोधन के कारण प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की जनता को उपलब्ध प्रतियों की तारीख से पैंतालिस दिनों की समाप्ति से पूर्व उनकी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और इस प्रकार जनता को उक्त राजपत्र की प्रतियों की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियों और सुझावों का आमंत्रण किया गया था;

और जनता को उक्त राजपत्र 8 जनवरी, 2013 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और परिषद ने जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया है;

अतः अब कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 में और आगे संशोधन किए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियमावली 2014 होगा।

   (2) ये विनियम भारत के राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 में–

   (i) विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1491 GI/14

"40. एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम परीक्षा में प्रवेश

किसी भी अभ्यर्थी को एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार रजिस्टर्ड छात्र न हो और परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन न करे"

(ii) अध्याय VI के बाद निम्नलिखित VI A को अन्तर्विष्ट किया जाएगा अर्थात् :—

अध्याय VI A

व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण आवश्यकताएं

46कक. इस अध्याय का लागू होना

इस अध्याय के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे :

(क) इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख पर या उसके बाद एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र; और

(ख) इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख पर या उसके बाद एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र, यदि वह अध्याय VII के प्रावधानों की बजाए इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहता है।

46कख. व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण

1. जिस छात्र ने इस इंस्टीट्यूट की फाइनल परीक्षा या प्रोफेशनल कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वह इस इंस्टीट्यूट की एसोसिएट सदस्यता का तभी पात्र बन सकता है जब उसने–

(क) निम्नलिखित अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो–

(i) एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के पंजीकरण पर तीन वर्ष; या

(ii) एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो वर्ष; या

(iii) प्रोफेशनल कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक वर्ष;

सामान्य कार्य दिवस घण्टों के दौरान पूर्णकालिक आधार पर–

(i) किसी ऐसी कम्पनी में, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए से कम न हो; या

(ii) किसी ऐसे अन्य इंस्टीट्यूशन या संगठन या इंस्टीट्यूशन या संगठनों के वर्ग में, जिसे परिषद ने समय–समय पर अनुमोदन कर दिया हो; या

(iii) पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत कम्पनी सेक्रेटरी या कम्पनी सेक्रेटरियों के फर्म के अधीन कार्य किया हो;

(ख) फाइनल परीक्षा या प्रोफेशनल कार्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने और उप–विनियम (1) के खण्ड (क) में निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने या उससे छूट मिलने के बाद मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूरा कर लिया हो, जिसे उसने समय–समय पर परिषद द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुसार इस ढंग से और ऐसे विषयों में पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए किसी क्लास रूम एनवायरमेंट या आनलाइन पर पूरा कर लिया हो।

2. किसी छात्र को उप–विनियम (1) के खण्ड (क) से राहत दी जा सकती है, यदि उसने परिषद की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित अनुभव पूरा कर लिया हो, अर्थात्:–

(i) (क) सहायक कम्पनी में सेक्रेटरी या डिप्टी कम्पनी सेक्रेटरी या किसी अन्य समकक्ष पद पर या सेक्रेटेरियल विभाग में इससे ऊंचे पद के रूप में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो; या (ख) सेक्रेटेरियल आफिसर/एक्जीक्यूटिव या किसी अन्य समकक्ष या उससे ऊंचे पद के रूप में दो वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो; या (ग) किसी कम्पनी या बॉडी कारपोरेट के सेक्रेटेरियल विभाग में एसिस्टेंट या उससे ऊंचे पद पर किसी ऐसी उपर्युक्त में जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी पचास लाख रुपए से कम न हो या किसी अन्य पब्लिक सेक्रेटरी अण्डरटेकिंग, किसी स्वायत्त अथवा स्टेच्युटरी बॉडी, वित्तीय संस्थान

या बैंक में जिसका टर्न ओवर दस करोड़ से कम न हो, जिसे परिषद की राय में पर्याप्त प्रोफेशनल अनुभव प्राप्त करने की गुंजाइश हो, उसमें उसने तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो; या

(ii) (क) किसी ऐसी पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत कम्पनी सेक्रेटरी में सेक्रेटेरियल आफिसर या एक्जीक्यूटिव के रूप में या किसी समकक्ष पद पर दो वर्ष का अनुभव; या (ख) किसी पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत कम्पनी सेक्रेटरी अथवा कम्पनी सेक्रेटेरियों के इंस्टीट्यूशनों में एसिस्टेंट या उसके समकक्ष अथवा उससे ऊंचे पद पर तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, जिसे परिषद की राय में पर्याप्त प्रोफेशनल अनुभव प्राप्त करने की गुंजाइश हो; या

(iii) (क) ऐसा कोई चार्टर्ड एकाउण्टेंट या कॉस्ट एकाउण्टेंट, जो स्टेच्युटरी या कॉस्ट/इंटरनल ऑडिट या मैनेजमेंट परामर्शी सेवाएं प्रदान करता हो, उसमें पूर्णकालिक आधार पर अनवरत रूप से प्रेक्टिस करने का दो वर्ष का अनुभव हो, या (ख) किसी ऐसी कम्पनी में, जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी और रिजर्व पचास लाख रुपए से कम न हो या कोई ऐसा संगठन जिसकी सकल मियादी सम्पत्तियां एक करोड़ रुपए से कम न हों या ऐसी कोई पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग, स्वायत्त अथवा स्टेच्युटरी बॉडी, वित्तीय संस्था या बैंक में अनवरत प्रेक्टिस के रूप में हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में दो वर्ष का अनुभव, जो परिषद की राय में पर्याप्त प्रोफेशनल अनुभव प्राप्त करने की गुंजाइश हो; या

(iv) इस विनियम के अधीन विनियम के उप–विनियम (1) में ऐसा निर्धारित व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लिया हो, जिसे परिषद ने पारस्परिक आधार पर ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या विदेश के ऐसे इंस्टीट्यूशन को मान्यता दे दी हो।

46कग. अपवाद

कोई भी व्यक्ति जो विनियम 46कख में निर्धारित व्यावहरिक अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण अपेक्षाओं के सम्बंध में से सभी या किसी बारे में न आता हो, परन्तु व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का दावा करता हो, जो इन विनियमों में निर्धारित हैं तो वह यथास्थिति व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने या व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदन कर सकता है और परिषद ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रमाणों या उसका इंटरव्यू लेकर प्रत्येक मामले में आंशिक या पूर्ण छूट देने का फैसला कर सकती है।

46कघ. इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा अनुभव और व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र की आवश्यकता

आवेदक को, जो आवश्यक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने का दावा करता है उसे परिषद द्वारा अनुमोदित तीन वर्ष सदस्यता की हैसियत वाले कम से कम सदस्यों से प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो यह प्रमाणित करेंगे कि प्रमाणपत्र देने वाले सदस्यों की राय में वह व्यक्ति इंस्टीट्यूट की एसोसिएट सदस्यता में प्रवेश पाने का उपयुक्त एवं समुचित व्यक्ति है।

46कङ. व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण का प्रमाण

इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी को, जिसके पास अपेक्षित व्यावहारिक अनुभव और अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर चुका हो या इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त कर ली हो, परिषद की संतुष्टि के अनुसार एसोसिएट सदस्यता के लिए समुचित फार्म में अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

46कच. मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम सहित प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुशासनात्मक कार्यवाही

मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसी भी अभ्यर्थी की स्थिति में यदि परिषद अथवा अनुशासन समिति स्व–विवेक से या शिकायत मिलने पर संतुष्ट है कि अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद यथावश्यक जांच करने के बाद उसका कदाचार सिद्ध हो जाता है तो अभ्यर्थी को फटकार सकती है या छात्र के रूप में उसका पंजीकरण निलंबित कर सकती है या इंस्टीट्यूट के किसी एक या उससे अधिक परीक्षाओं में बैठने से निलम्बित या रोक सकती है या निर्देश दे सकती है कि उसने जो प्रशिक्षण की पूरी की गई पहले वाली अवधि को विनियम 46कख के प्रयोजन के लिए गिनी नहीं जाएगी या यह घोषणा कर सकती है कि वह अभ्यर्थी इंस्टीट्यूट की एसोसिएट सदस्यता में प्रवेश पाने का समुचित व्यक्ति नहीं है।

स्पष्टीकरण : इस "विनियम" के प्रयोजन के लिए कदाचार में इंस्टीट्यूट या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्थान में या उसके निकट किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का आचरण इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित किसी भी विनियम का भंग, किसी भी शर्त, गाइडलाइन शामिल रहेगा; प्रशिक्षण सम्बन्धी कदाचार में या प्रशिक्षण प्राप्त करने सम्बन्धी अनुचित साधन अपनाना या अपनाने का प्रयास करना या प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करना या उस

संगठन की किसी प्रकार की नीतियों, नियमों और विनियमों का भंग करना भी शामिल रहेगा, जिसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

(iii) विनियम 55क के बाद निम्नलिखित विनियम को अन्तर्विष्ट किया जाएगा अर्थात्:–

55कख. अध्याय VII को लागू करना

इस अध्याय के प्रावधान इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व इंटमीडिएट या एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों पर भी लागू होंगे, यदि वे अध्याय VI A के प्रावधानों का अनुपालन करने का विकल्प नहीं देते हैं।"

परिषद के आदेश द्वारा,

एम. एस. साहू, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./121/13]

नोट : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना आईसीएसआई सं. 710/2 (1) दिनांक 16 सितम्बर, 1982 और उसके बाद संशोधनों को प्रकाशित किया गया और इसके बाद निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :

(i) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 30 मार्च, 1984

(ii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 03 मई, 1984

(iii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 30 दिसम्बर, 1985

(iv) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09 सितम्बर, 1986

(v) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23 फरवरी, 1987

(vi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09 मार्च, 1987

(vii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/एम (1) दिनांक 22 अगस्त, 1988

(viii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 23 अगस्त, 1988

(ix) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (18) दिनांक 20 अगस्त, 1993 और 24 नवम्बर, 1993

(x) अधिसूचना सं. /710/1/एम (17) दिनांक 21 फरवरी, 1995

(xi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (20) दिनांक 28 नवम्बर, 1996

(xii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम (26) दिनांक 10 अगस्त, 2001

(xiii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/(1) दिनांक 03 मई, 2006

(xiv) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/(1) दिनांक 26 जून, 2006

(xv) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 23 जूलाई, 2010

(xvi) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 4 जून, 2012

MINISRY OF CORPORATE AFFAIRS

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2014

No. 710/1 (M)/1.—Whereas the draft regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 were published, as required by sub-section (3) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), at pages 1 to 8 in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 dated December, 31, 2012 under the notification of the Institute of Company Secretaries of India number 710/1 (M)/1 dated December 31, 2012 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days of the date on which the copies of the said notification as published in the Gazette of India were made available to the public;

AND WHEREAS objections and suggestions were invited before the expiry of period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 8th January, 2013;

AND WHEREAS objections and suggestions received from the public have been considered by the Council;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, namely: -

1 (1) These regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2 In the Company Secretaries Regulations, 1982,-

(i) for regulation 40, the following regulation shall be substituted, namely: -

"40 Admission to Executive Programme Examination.-

No candidate shall be admitted to Executive Programme Examination unless he is a registered student and applies with such examination fees as may be determined by the Council from time to time, in accordance with the directions given by the Council."

(ii) after Chapter VI, the following Chapter VIA shall be inserted, namely: -

"CHAPTER VI A

Practical Experience and Training requirements

46AA. Applicability of this Chapter.-

The provisions of this Chapter shall apply to: -

(a) a student registered to the Executive Programme on or after the date of publication of this notification; and

(b) a student registered to the Executive Programme before the date of publication of this notification, if he wishes to comply with the requirements of this Chapter instead of those specified in Chapter VII.

46AB Practical Experience and Training.-

1. A student who has passed the Final examination or Professional Programme examination of the Institute shall become eligible to Associate Membership of the Institute only after he has -

(a) undergone the practical training for a period of-

(i) three years on registration for Executive Programme; or

(ii) two years after passing the Executive Programme examination; or

(iii) one year after passing the Professional Programme examination;

on whole time basis during normal working hours-

(i) in a company having a paid up share capital of not less than fifty lakh rupees; or

(ii) in any other institution or organisation or class of institutions or organisations as may be approved by the Council from time to time; or

(iii) under a Company Secretary in whole-time practice or in a firm of Company Secretaries;

(b) completed Management Skills Orientation Programme, after passing the Final examination or Professional Programme examination and undergoing practical training as

specified in clause (a) of sub-regulation (1) or exempted therefrom, either in class room environment or online for a period of fifteen days in such manner and of such contents as may be provided by the Council from time to time.

2. The practical training referred to in clause (a) of sub-regulation (1) may be dispensed for a student, if to the satisfaction of the Council, he has fulfilled the following experience, namely: -

(i) (a) One year experience as an Assistant Company Secretary or Deputy Company Secretary or any other post equivalent or higher thereto in the Secretarial Department; or (b) two years' experience as a Secretarial Officer or Executive or any other post equivalent or higher thereto; or (c) three years experience as an Assistant or any other post equivalent or higher thereto in Secretarial Department in any company or body corporate having a paid-up share capital of not less than fifty lakh rupees or turnover of not less than ten crore rupees or in any public sector undertaking, autonomous or statutory body, financial institution or bank which in the opinion of the Council provides scope for acquiring sufficient professional experience; or

(ii) (a) Two years experience as Secretarial Officer or Executive or any post equivalent; or (b) three years' experience as an Assistant or any other post equivalent or higher thereto under a Company Secretary in whole time practice or in a firm of Company Secretaries, which in the opinion of the Council provides scope for acquiring sufficient professional experience; or

(iii) (a) Two years experience of continuous practice on a whole-time basis as a Chartered Accountant or a Cost Accountant having carried out statutory or cost or internal audit or providing management consultancy services; or (b) two years experience of continuous practice as an Advocate in a high Court having rendered services as Counsel or Advisor to a Company having paid–up share capital and reserves of not less than fifty lakhs rupees or any organisation having gross fixed assets of not less than one crore rupees, or in any public sector undertaking, autonomous or statutory body, financial institute or bank which in the opinion of the Council provides scope for acquiring sufficient professional experience; or

(iv) has acquired practical experience equivalent to those specified under sub-regulation (1) of this regulation in such professional institutions or abroad as may be recognised by the Council in this behalf on reciprocal basis.

46AC Exceptions.-

Any person not falling in all or any respects with regard to practical experience and practical training requirements as specified in regulation 46AB but claims to have acquired practical experience and undergone practical training, equivalent to those specified under these regulations may apply for full or partial exemption from acquiring practical experience or undergoing practical training, as the case may be, and the Council may determine each case for partial or total exemption taking into account the evidence produced by such person or after interviewing him.

46AD Requirement of certificate of experience and practical training by members of the Institute.-

Every applicant claiming to have acquired the necessary practical experience and undergone the required practical training, shall be required to obtain certificate from at least two members having a standing of three years membership, as approved by the Council, certifying that in the opinion of the certifying members, the candidate is a fit and appropriate person to be admitted to the Associate Membership of the Institute.

46AE Proof of Practical experience and training.-

A candidate who possesses the requisite practical experience and has undergone the requisite practical training or has been exempted therefrom as provided in these regulations, shall be

required to produce necessary documentary proof to the satisfaction of the Council along with his application in the appropriate form for Associate Membership.

46AF Disciplinary action in connection with training including Management Skills Orientation Programme.-

In the event of any misconduct by a candidate undergoing training including management skills orientation programme, the Council or the Disciplinary Committee may *suo-moto* or on receipt of a complaint, if it is satisfied that the misconduct is proved after such investigation as it may deem necessary after giving him an opportunity of being heard, reprimand the candidate or cancel or suspend his registration as a student or suspend or debar him from appearing in any one or more examinations of the Institute or direct that any period of training already undergone shall not be reckoned for the purpose of regulation 46AB or declare that such a candidate is not fit and appropriate person to be admitted to the Associate Membership of the Institute.

Explanation: For the purposes of this regulation, the expression "misconduct" shall include "a behaviour in a disorderly manner in relation to the Institute or in or near the place where undergoing training, breach of any regulation, condition, guideline or direction laid down by the Institute, malpractice with regard to training or resorting to or attempting to resort to unfair means in connection with the undergoing of training or seeking exemption from undergoing the training or for breach of any policies, rules and regulations for the organisation in which he is undergoing training;"

(iii) after regulation 55A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"55AB Applicability of Chapter VII.-

The provisions of this Chapter shall apply to students registered to Intermediate or Executive Programme before the date of this notification, if they do not opt to comply with the provisions of Chapter VIA."

By Order of the Council,

M. S. SAHOO, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./121/13]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification ICSI No.710/2 (1), dated the 16th September, 1982 and subsequently amended vide:

(i) Notification No. ICSI/710/2/M (1) dated the 30th March, 1984;

(ii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 3rd May, 1984;

(iii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 30th December, 1985;

(iv) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 9th September, 1986;

(v) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 23rd February, 1987;

(vi) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 9th March, 1987;

(vii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 22nd August, 1988;

(viii) Notification No. ICSI/710/2/M (1), dated the 23rd August, 1988;

(ix) Notification No. ICSI/710/2/M (18), dated the 20th August, 1993 and 24th November, 1993;

(x) Notification No. 710/1/M/(17), dated the 21st February, 1995;

(xi) Notification No. ICSI/710/2/M (20), dated the 28th November, 1996;

(xii) Notification No. ICSI/710/2/M (26), dated the 10th August, 2001;

(xiii) Notification No.710/1/(M)/1, dated the 3rd May, 2006;

(xiv) Notification No.710/1/(M)/1, dated the 26th June, 2006;

(xv) Notification No. 710/1(M)/1, dated the 23rd July, 2010;

(xvi) Notification No. 710/1(M)/1, dated the 4th June, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.